

पूर्व मध्य रेल

कार्यालय,
मंडल रेल प्रबन्धक(का0)
समस्तीपुर।

कार्यालय आदेश सं०-292/NG/2020/Engg./Spj

मंडल रेल प्रबन्धक(कार्मिक)/समस्तीपुर के ज्ञापन संख्या-का/239/तृ० श्रेणी/अनु०/गो०/2020, दिनांक 10.01.2020 के द्वारा निम्नलिखित अभ्यर्थी जो अनुकम्पा के आधार पर अभियंत्रण विभाग में ट्रेकमेन्टेनर-IV, वेतन लेवल-1 के पद पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य पाए गए हैं तथा जो वांछित चिकित्सा श्रेणी में सुयोग्य घोषित हैं, की नियुक्ति अस्थायी रूप से इनके नाम के सामने अंकित पद, वेतन लेवल एवं कार्यस्थल पर की जाती है। इन्हें समय-समय पर स्वीकार्य भत्ता नियमानुसार देय है, तथा वेतन का लाभ इनके वास्तविक कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से देय होगा।

क्रम सं०	अभ्यर्थी का नाम/पिता का नाम (सर्वश्री)	चिकित्सा श्रेणी/प्रमाण पत्र सं०/दिनांक	जन्म तिथि	समुदाय	पद एवं पे लेवल	योग्यता	पदस्थापना स्टेशन	पदस्थापना पर वेतन निर्धारण
1.	मो० मुजाहिद पिता- स्व० मो० जहुर	Fit in Aye-one (A-1) & below Category without glasses vide Sr.DMO/SPJ Medical Certificate No.1216/16 dt-26.12.2019.	18.11.1994	OBC	TM-IV, Pay Level-1	मध्यमा	Under SSE/ P.Way/ SHC	Rs.18000/ (L-1)

उपरोक्त नियुक्ति पूर्णतः औपबन्धिक एवं अस्थायी है। इनकी नियुक्ति के सम्बन्ध में वे सभी शर्तें लागू होंगी जो एक अस्थायी कर्मचारी के साथ लागू होती है। चरित्र सत्यापन के दौरान पुलिस द्वारा प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने या शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र के सत्यापन के दौरान त्रुटि पाए जाने पर या माता-पिता/पति-पत्नी/बच्चों जैसा भी मामला हो, के साथ तथा परिवार के अन्य सदस्य की देख-रेख नहीं किए जाने पर सेवा समाप्त कर दी जाएगी।

आवश्यकतानुसार इन्हें प्रादेशिक सैन्य सेवा रेलवे इंजीनियरिंग इकाई में 12 वर्षों तक प्रादेशिक सेवा में 03 वर्षों तक या जो अवधि निर्धारित की जाएगी, सैन्य सेवा करनी होगी। इनकी सेवा रेलवे बोर्ड के नियमानुसार दिनांक 01.01.2004 से प्रभावी नई पेंशन योजना से शासित होंगे।

उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित है।




(मनोज कुमार चौधरी)
सहायक कार्मिक अधिकारी-1
समस्तीपुर

दिनांक:- 24.06.2020

संख्या-का/227/V/अभियंत्रण/नियुक्ति/2019/सम०
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :

1. वमंड/समन्वय/समस्तीपुर।
2. वमंविप्र/समस्तीपुर।
3. समंड/सहरसा।
4. SSE/P.Way/SHC.
5. सम्बन्धित बिल लिपिक।
6. सम्बन्धित कर्मचारी।
7. मंडल मंत्री/इसीआरकेयू/अपिव एवं अजा/अजजा एसोसिएशन/समस्तीपुर।
8. अभिलेख हेतु।


सहायक कार्मिक अधिकारी-1
समस्तीपुर